स्पीड पोस्ट (87)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1) 2014/कार्मिक–भर्ती/प्रमुवसं/4999-5012 दिनांक 28/5/15

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक

जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/भरतपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर।

मुख्य वन सरंक्षक (वन्य जीव) जोधपुर/(वन्य जीव) कोटा/(वन्य जीव) भरतपुर/

/(वन्य जीव) उदयपुर।

मुख्य वन संरक्षक, आर.वी.पी. कोटा।

मुख्य वन संरक्षक, बनास नदी परियोजना जयपुर ।

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य जयपुर।

विषयः राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2014 की पालना के संबंध में।

संदर्भ : आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर का पत्रांक एफ 1 (बी) (3) (57) सीटीएडी/2014/11146–215 दिनांक 04.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 2 (1)/डीओपी/ए–II/2014 दिनांक 28.01.2014 द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2014 जारी किये गये है। इन नियमों की पालना सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव राजस्थान द्वारा परिपत्र दिनांक 17.07.2014 एवं दिनांक 10.11.2014 जारी किये गये है (प्रति संलग्न)।

उक्त नियमों की पालना हेतु शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग जयपुर ने परिपत्र क्रमांक प. 2 (1) कार्मिक/क–2/2014 पार्ट दिनांक 28.04.2015 जारी कर अभी भी विकल्प से शेष रहे कर्मचारियों से विकल्प लेने की कार्यवाही 31 मई 2015 तक करने, अनुसूचित क्षेत्र में जाने का विकल्प देने वाले कार्मिकों का स्थानान्तरण 30 जून 2015 तक हर हाल में कर तत्संबंधी प्रमाण पत्र इस विभाग को भिजवाने के निर्देश जारी किये हैं। यह भी निर्देशित किया है कि अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में जाने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अनुसूचित क्षेत्र के तत्संबंधी रिक्त पद स्थानान्तरण/नई नियुक्ति द्वारा भरे जा चुके है तथा स्थानान्तरण से अनुसूचित क्षेत्र का विभागीय कार्य संचालन बाधित होने की सम्भावना नहीं है।

अतः कार्मिक (क–2) विभाग जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.04.2015 की छाया प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। कृपया परिपत्र की पालना करते हुए अपने क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों के विकल्प 3 दिन में प्राप्त कर विशेष पत्र वाहक के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास दिनांक 03.06.2015 तक भिजवाये तथा इसका प्रमाण पत्र जारी कर भिजवाये कि आपके द्वारा समस्त कर्मचारियों को उक्त सूचना देकर विकल्प प्राप्त कर लिये गये है।

संलग्न :– उक्तानुसार

भवदीय,

Sh.

(शिखा मेहरा)

मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ 2(1)डीओपी/ए–II/2014 जयपुर, दिनांक : 17.07.2014

1 समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष(संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

राजस्थान के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विभिन्न विभागों के अधीन सृजित पदों पर पर्याप्त कार्मिकों का पदस्थापन नहीं होने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण एवं विनिर्दिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति व्यक्तियों के विकास हेतु कियान्विती की जा रही योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन कराये जाने के उद्देश्य से कार्मिक(क–2)विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 के द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 जारी किये गये हैं। उक्त नियम बनाये जाने के परिणामस्वरूप विनिर्दिष्ट क्षेत्र हेतु स्वीकृत अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती इन नियमों के अन्तर्गत करने के आशय का प्रावधान विविध सेवा नियमों में अधिसूचना कमांक एफ 7(1)कार्मिक/क–2/2014 दिनांक 04.03.2014 द्वारा किया गया है। अतः राज्य के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के कार्मिकों के लिए उक्त नवीन नियम अधिमान्य होंगे:–

1 उक्त नवीन नियम, 2014 के नियम 6 के उप नियम(3) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न विभागों के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सृजित पदों पर कार्यरत/पदस्थापित अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के सभी कर्मचारियों से उनके नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उन्हें सूचित किये जाने की तिथि से 1 माह की अवधि के भीतर इस आशय का विकल्प पत्र लिया जावे कि वे भविष्य में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत ही कार्यरत रहना चाहते है अथवा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर कार्य करना चाहते हैं। यह कार्य समुचित प्रचार–प्रसार उपरान्त 1 माह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

2 राज्य के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्यरत अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के जो कर्मचारी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प पत्र देते हैं ऐसे कार्मिकों के स्थान पर वैकल्पिक कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण कर लेने तक उनका स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर नहीं की जावे। जो कर्मचारी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में रहने का विकल्प देते हैं उनका कभी भी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किया जायेगा।

3 जो कार्मिक अन्य जिले में पदस्थापित है तथा अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापन चाहते हैं उनसे इस बाबत प्रार्थना–पत्र लिया जाकर प्राथमिकता से अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित किया जावे।

4 सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की रिक्तियों के विरूद्ध पदस्थापन हेतु भर्ती की कार्यवाही तुरन्त करे। वित्त विभाग(आय–व्ययक अनुभाग) के परिपत्र कमांक एफ 9 (1) वित्त–1(1)आ.व्य./2010 दिनांक 29.12.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 के पश्चात् हुई रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु उक्त तिथि से पूर्व के रिक्त पदों पर वित्त विभाग और कार्मिक विभाग की सहमति लिया जाना आवश्यक था।

अतः सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उनके अधीन अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिक्तियों की गणना तदनुसार करेंगे।

5 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में भर्तियों के मामलों में कार्मिक(क-2)विभाग द्वारा दिनांक 16.06.2013 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्र की समस्त रिक्तियों को स्थानीय निवासियों द्वारा भरा जायेगा। इसके लिए सभी विभाग अलग से रोस्टर रजिस्टर संधारित करेंगे।

6 इस परिपत्र को विभाग में लागू करने हेतु सभी विभाग एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो कि इस प्रकिया को पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा। उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी का पूर्ण विवरण आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को भिजवाया जाये, जो कि उक्त नियमों के परिपेक्ष्य में विभिन्न सेवाओं द्वारा की गई नियुक्तियां/पदस्थापन की प्रभावी मोनेटरिंग करेंगे।

7 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर इस परिपत्र की समस्त विभागों में अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षणीय अधिकारी होंगे। वे समय-समय पर राज्य सरकार को इस बारे में प्रगति से अवगत करायेंगे।

अतः सभी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

(राजीव महर्षि)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल महोदया, राजस्थान सरकार।
2 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3 सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
4 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5 सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, विभाग, उदयपुर।
8 पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
9 रक्षित पत्रावली।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव, कार्मिक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफं 2(1) डीओपी / ए–II / 2014 जयपुर, दिनांक : 10.11.2014

1 समस्त अति. मुख्य सचिव / प्र० शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध होने के कारण इच्छुक कार्मिकों का अनुसूचित क्षेत्र से बाहर लम्बे समय तक स्थानान्तरण नहीं हो सका है, दूसरी तरफ अनुसूचित क्षेत्र हेतु स्वीकृत पद अनुसूचित क्षेत्र से बाहर के निवासियों से भरे होने के कारण स्थानीय लोगों को अनुसूचित क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल पाया है।

राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2014 के तहत राज्य के अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के कार्मिकों से एक बारीय विकल्प लिया जाकर कार्मिकों का अनुसूचित क्षेत्र में एवं अनुसूचित क्षेत्र से स्थानान्तरण किया जा सकता है। अतः स्थानान्तरण चाहने वाले कार्मिकों को शीघ्र राहत देने तथा उक्त नियमों की पालना में अनुसूचित क्षेत्र हेतु स्वीकृत पदों को स्थानीय निवासियों से शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता है। इस हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नियमों के नियम 6(3) के अन्तर्गत कार्मिकों से शीघ्र विकल्प पत्र भरवाने की कार्यवाही करें।

2. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में आने वाले कार्मिको को प्राथमिकता से विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित किया जावें।

3. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक, जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प देते है, उनके पदों की गणना रिक्त पद के विरूद्ध की जाकर परिणामिक रूप से उपलब्ध रिक्त पदों पर भर्ती की जावे तथा भर्ती के पश्चात् वैकल्पिक कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने पर ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण अनुसूचित क्षेत्र के बाहर उपलब्ध पदों पर वरिष्ठता के आधार पर किया जावें।

नोट:–नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों व अनुसूचित क्षेत्र के बाहर की रिक्तियों की गणना के आधार पर निष्पादित (Execute) हो सकने वाले विकल्पों की गणना के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त पदों पर अनुसूचित क्षेत्र में भर्ती करने के पश्चात् वैकल्पिक कार्मिक उपलब्ध होने पर ही अनुसूचित क्षेत्र से बाहर जाने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त करें, ताकि अनुसूचित क्षेत्र में पद रिक्त नहीं रहे।

सभी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की शीघ्र पालना सुनिश्चित की जावे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता के लिए संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

(सी.एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
8. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 2(1)कार्मिक/क–2/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक :– 28.04.2015

1– समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्र0 शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
2– समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

परिपत्र

जैसा कि आपको विदित है कि अनुसूचित क्षेत्रों हेतु पृथक् से राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 दिनांक 28.01.2014 से अधिसूचित किए जा चुके हैं। इनके तहत अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत तथा अनुसूचित क्षेत्र में ही रहने का विकल्प देने वाले राजसेवक इन सेवाओं के स्वतः सदस्य होंगे। साथ ही, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.07.2014 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के बाहर जाने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण तभी किया जायेगा, जब उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी का पदस्थापन होकर कार्यग्रहण कर लिया हो।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अब तक जिन कर्मचारियों ने शेष राजस्थान से अनुसूचित क्षेत्र में जाने का विकल्प दिया है, उनका अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों पर स्थानान्तरण 31 मई, 2015 तक हर हाल में कर दिया जावे। अभी भी विकल्प से शेष रहे कर्मचारियों से अनुसूचित क्षेत्र में जाने सम्बन्धी विकल्प 31 मई, 2015 तक सभी विभागों द्वारा आवश्यक रूप से ले लिये जावे। इसके बाद कोई विकल्प मान्य नहीं होंगे। विकल्प लेने की इस अन्तिम तिथि का समाचार माध्यमों से भी विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जावे। इस प्रकार प्राप्त होने वाले विकल्पों के आधार पर, अनुसूचित क्षेत्र का विकल्प देने वाले कर्मियों का स्थानान्तरण 30 जून, 2015 तक (TSP क्षेत्र में जाने हेतु) हर हाल में कर दिये जावें।

जहां तक अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों, जिन्होंने अनुसूचित क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है, उनके स्थानान्तरण का प्रश्न है, ऐसे स्थानान्तरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अनुसूचित क्षेत्र के तत्सम्बन्धी रिक्त पद, स्थानान्तरण/नयी नियुक्ति द्वारा भरे जा चुके हैं तथा स्थानान्तरण से अनुसूचित क्षेत्र का विभागीय कार्य संचालन बाधित होने की सम्भावना नहीं है।

विकल्प लेने की अन्तिम तिथि (31.05.2015) के पश्चात् प्रत्येक विभाग 10 दिवस के भीतर आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को एक प्रमाण–पत्र इस आशय का भेजेगा कि राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के नियमों के तहत विभाग के सभी चतुर्थ श्रेणी, मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा के राजसेवकों को सूचित कर विकल्प प्राप्त कर लिए गए हैं तथा ऐसा कोई राजसेवक शेष नहीं रहा है, जिसे इस प्रकार सूचित नहीं किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में 30 जून, 2015 तक स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त सभी विभाग आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को एक प्रमाण–पत्र भेजेंगे

कि अनुसूचित क्षेत्र में जाने का विकल्प देने वाले सभी राजसेवकों का स्थानान्तरण अनुसूचित क्षेत्र में कर दिया गया है।

ऐसे कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 दिनांक 16.01.2015 के तहत राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति/प्रतिबन्ध से मुक्त है।

इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए पालना से अवगत करावे।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिवगण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव